

# सूचना

वे सभी छात्र/छात्राएँ जो शिक्षण शुल्क का भुगतान NEFT/ RTGS/ ATM TRANSFER/ ONLINE TRANSFER अथवा CASH (पंजाब नेशनल बैंक शाखा-पचामा के अतिरिक्त किसी अन्य शाखा द्वारा) के माध्यम से करते हैं, वे अपने शुल्क की रसीद विश्वविद्यालय के लेखा विभाग (अकाउन्ट डिपार्टमेंट) से शुल्क भुगतान की तिथि के छः माह के भीतर प्राप्त कर ले, इस हेतू छात्र/छात्राओं को अपने द्वारा जमा किये गये शुल्क की रसीद की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। छः माह पश्चात् किसी भी प्रकार की रसीद लेखा विभाग द्वारा दिया जाना संभव नहीं होगा इसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र/छात्रा स्वयं की होगी।

*Qim*  
23/01/2017

आदेशानुसार